

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग/Secretariat Coordination Section

अणुशक्तिभवन/Anushakti Bhavan,
छ.शि.म.मार्ग/C.S.M Marg.
मुंबई/Mumbai - 400 001.
Tel. : 022 - 22862661
e-mail: sectcord@dae.gov.in

No.1/14/2018-SCS/1008

जनवरी January 20, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : विशेष स्थानों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के लिए ऑपरेशन थिएटर भत्ता (विशेष भत्ता) की दरों में संशोधन के संबंध में।

Subject: Revision of rates of Operation Theatre Allowance (Special Allowance) to Nursing Staff working in certain special areas – Regarding.

अधोहस्ताक्षरी को विभाग के दिनांक 11.12.2000 के का.जा.सं. 2/22/98-SCS/341 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें विशेष स्थानों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय (एमएचएंडएफडब्ल्यू) के दिनांक 12.07.1999 के का.जा.सं. Z-28016/84/98-N/PMS में निर्धारित शर्तों के अधीन दि. 01.08.1997 से प्रभावी ऑपरेशन थिएटर भत्ता (विशेष भत्ता) की दरों में संशोधन कर रु. 60/- से रु. 120/- प्रति माह करने हेतु अनुमोदन दिया गया है।

The undersigned is directed to refer to the Department's OM No.2/22/98-SCS/341 dated 11.12.2000 conveying therein approval for revision of rate of Special Allowance to Nursing Staff of the Department working in certain special areas, from Rs.60/- to Rs.120/- per month w.e.f. 01.08.1997 subject to the conditions prescribed in Ministry of Health & Family Welfare (MH&FW) OM No.Z-28016/84/98-N/PMS dated 12.07.1999.

2. 7^{वें} केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने अपने दिनांक 27.09.2017 के का.जा.सं. Z.28015/52/2017-N के द्वारा ऑपरेशन थिएटर भत्ता (विशेष भत्ता जिसे ऑपरेशन थिएटर भत्ता के नाम से पुनर्नामित किया गया) की दर को संशोधित कर दि. 01.07.2017 से रु. 540/- प्रति माह किया गया।

Consequent on acceptance of the recommendations of 7th CPC, the MH&FW vide their OM No.Z.28015/52/2017-N dated 27.09.2017 have revised the rate of Operation Theatre Allowance (Special Allowance renamed as Operation Theatre Allowance) to Rs.540/- per month w.e.f. 01.07.2017.

3. तदनुसार, विभाग ने सदस्य (वित्त), एईसी और उसके बाद व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को ऑपरेशन थिएटर भत्ता (विशेष भत्ता) की दरों को संशोधित कर रु. 120/- प्रति माह से रु.540/- प्रति माह करने हेतु अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

Accordingly, the Department submitted a proposal to Member(Finance), AEC and subsequently to Department of Expenditure, Ministry of Finance for approval for revision of rates of Operation Theatre Allowance (Special Allowance) from Rs.120/- p.m. to Rs.540/- p.m.

4. विभाग के पूर्वोक्त प्रस्ताव पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में विचार किया गया है और अधोहस्ताक्षरी को दि. 01.07.2017 से ऑपरेशन थियेटर भत्ता (विशेष भत्ता) की दरों में संशोधन कर उसे रु. 120/- प्रति माह से रु.540/-प्रतिमाह करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश दिया जाता है। यह विभाग के नर्सिंग स्टाफ के लिए है जो विशेष क्षेत्रों अर्थात सभी प्रमुख ऑपरेशन थिएटर, सभी गहन देखभाल इकाइयां/गहन देखभाल उपचार क्षेत्र, कोरोनरी देखभाल इकाइयां/कार्डियक कैथीटेराइजेशन प्रयोगशालाएं, डायलिसिस यूनिट/वार्ड और प्रत्यारोपण इकाइयां/वार्ड, जले के उपचार हेतु गहन देखभाल इकाइयां, टिटनस वार्ड और रेबीज वार्ड, बाल चिकित्सा नर्सरी/नवजात इकाइयां में कार्यरत हैं।

The aforesaid proposal of the Department has been considered in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and the undersigned is directed to convey the approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance for revision of rates of Operation Theatre Allowance (Special Allowance) from Rs.120/-p.m. to Rs.540/-p.m. w.e.f. 01.07.2017, to Nursing Staff of the Department who are working in certain special areas viz. All Major Operation Theatres, All Intensive Care Units/Intensive Care Treatment areas, Coronary Care Units/Cardiac Catheterization Laboratories, Dialysis Unit/Ward and Transplant Units/Wards, Intensive Care Units for Burns, Tetanus Wards and Rabies Wards, Pediatric Nursery/Neonatal Units.

5. पैरा 4 में उल्लिखित विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के लिए स्वीकार्य ऑपरेशन थियेटर भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

Operation Theatre Allowance admissible to Nursing personnel working in the specialized areas mentioned at Para 4 is subject to the following conditions :-

(i) नर्सिंग कर्मियों को भत्ते का भुगतान केवल उस अवधि के लिए किया जाएगा जब संबंधित कर्मचारी वास्तव में निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम कर रहा हो। विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने की न्यूनतम अवधि दो से तीन वर्ष होगी।

The allowance shall be paid to the nursing personnel for such period only when the concerned staff is actually working in the specified areas. The minimum period for working in the specialized areas will be two to three years.

(ii) इन क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए एक वर्ष से कम सेवा वाले किसी भी नर्सिंग अधिकारी को तैनात नहीं किया जाना है।

No Nursing Officer with less than one year of service is to be posted for duty in these areas.

(iii) यह भत्ता किसी भी अस्पताल/संस्थान के नर्सिंग स्टाफ की कुल स्टाफ संख्या के 35% तक सीमित है।


This allowance is restricted to 35% of the total staff strength of nursing staff of any hospital/Institution.

6. ऑपरेशन थिएटर भत्ते की संशोधित दरें दि.01.07.2017 से स्वीकार्य होंगी।

The revised rates of Operation Theatre Allowance shall be admissible with effect from 01.07.2017.

7. इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This OM is issued with the approval of Competent Authority in the Department.



(बिपिन कुरूप Bipin Kurup)

अवर सचिव (एससीएस) Under Secretary (SCS)

पऊवि की संघटक इकाइयों के सभी प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख

All Heads and Administrative Heads of Constituent Units of DAE.

प्रति Copy to :-

(i) पऊवि के सभी अधिकारीगण (दर्पण पोर्टल के माध्यम से)

All Officers in DAE (Through Darpan web-portal)

(ii) गार्ड फाइल सं. Guard File No.162.